



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272071  
CG-DL-E-25042026-272071

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2008]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2026/वैशाख 4, 1948

No. 2008]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2026/VAISAKHA, 1948

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

का.आ. 2081(अ).— केंद्रीय सरकार, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 27 के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, की तारीख 24 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या 002/2014, फा. सं. एसआर/एस9/जेड-08/2011 और 003/2014/फा. सं. एसआर/एस9/जेड-08/2011, जो तारीख 25 अप्रैल, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निरस्त करती है।

[फा. सं. आरआर/एएनआरएफ -2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY****(Department of Science and Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2026

**S.O. 2081(E).**— In exercise of the powers conferred by section 23 read with section 27 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), the Central Government hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Science and Engineering Research Board, number 002/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011 and 003/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011, dated the 24<sup>th</sup> April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25<sup>th</sup> April, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. RR/ANRF-2025]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.